संख्या- 190 / 2016 / 2525 / चार-2016-3(बजट)/2016

प्रेषक,

डा0 हरिओम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 08 दिसम्बर , 2016

विषय:- विकास भवन कार्यालय गाजीपुर के प्रागंण में एक आडिटोरियम हाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1122/सं0नि0-6(113)/2016-17 दिनांक 29 जुलाई,2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास भवन कार्यालय गाजीपुर के प्रागंण में एक आडिटोरियम हाल के निर्माण के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 992.04 लाख के सापेक्ष लागत धनराशि रू0 841.26 लाख मूल्यांकित की गयी है। मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 18-11-2016 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के दृष्टिगत विकास भवन कार्यालय गाजीपुर के प्रागंण में एक आडिटोरियम हाल के निर्माण के सम्बन्ध में धनराशि रू0 841.26 लाख ( रूपया आठ करोड इक्तालिस लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र ) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण /उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव में एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, पी0ए0 सिस्टम , फर्नीचर, प्रोजेक्ट , स्टेज कर्टेन, ट्रान्सफार्मर, डी0जी0 सेट, पावर बैकअप का प्राविधान कोटेशन/बाजार दर पर किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निदेशक, संस्कृति निदेशालय से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव में फाल्स सीलिंग, एक्वास्टिक कवरिंग , एक्वास्टिक, ट्रीटमेन्ट , वुडेन फ्लोरिंग का प्राविधान किया गया है, जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, के प्रयोग पर नियमानुसार सक्षम उच्च स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ही निर्माण कार्य कराया जाय।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव में ट्रान्सफार्मर, जनरेटर एवं पावर बैकअप हेतु एकमुश्त धनराशि प्रस्तावित की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन गठित किया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी।

(8) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि , सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) उपर्युक्त पर होने वाला व्यय प्रेक्षागृह /खुलामंच निर्माण की चालू योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-प्रेक्षागृह/खुलामंच का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 हरिओम )
सचिव।

संख्या - 190 / 2016 / 2525 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-4/2/16/2016सी0एक्स (1) दिनांक 18 नवम्बर, 2016 के क्रम में।
3 -वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5 -प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6 -वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।